



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 17252 सन् 2025

वीरेंद्र प्रताप पटेल

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य के अधिवक्ता

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : रवींद्र सिंह, राज मूर्ति पटेल

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : श्रुति तनेजा, सी.एस.सी., महेंद्र नारायण सिंह, सिद्धार्थ सिंघल

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रवीन्द्र बहादुर सिंह, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार, उत्तरदाता संख्या 4 की ओर से उपस्थित श्री सिद्धार्थ सिंघल और उत्तरदाता संख्या 2 और 3 की ओर से उपस्थित होने वाले श्री कार्तिकेय सरन के संक्षिप्त विवरण के साथ सुश्री सृष्टि गुप्ता (एओआर संख्या ए/एस 0657/2022), को सुना।
2. प्रतिद्वंद्वी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा एक बयान दिया गया है कि वे कोई शपथपत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और रिट याचिका पर अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।
3. पक्षों की सहमति से रिट याचिका पर नए चरण में ही निर्णय किया जा रहा है।
4. इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए 18.11.2025 को वर्तमान रिट याचिका पर विचार किया:-

"इस मामले को पुनरीक्षित सूची में लिया गया है।

यद्यपि, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ साथ विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार मौर्य (एओआर संख्या ए/एस 0014/2020), उत्तरदाता संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सिंघल के संक्षिप्त विवरण के साथ उपस्थित हैं, लेकिन उत्तरदाता संख्या 2 और 3 की ओर से कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है।

यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इन मामलों में कोई भी प्रस्तुत नहीं हो रहा है।

उत्तरदाता संख्या 2 और 3 को नोटिस जारी करें।

इस मामले को 10 दिसंबर, 2025 को नई सूची में रखें।

इस बीच, शपथपत्रों का आदान-प्रदान किया जा सकता है।"

5. इसके बाद 02.02.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:-

"1. उत्तरदाता संख्या 2, 3 और 4 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 21.02.2024 के आदेश को चुनौती नहीं दी है, जिसके द्वारा उसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था और वर्तमान याचिका में केवल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पारित बाद के आदेशों को चुनौती दी गई है।

2. इसके मद्देनजर, दिनांक 21.02.2024 के उपरोक्त आदेश की प्रति उत्तरदाता संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सिंघल द्वारा आज न्यायालय में याचिकाकर्ता को प्रदान की गई है। इसके मद्देनजर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता रिट याचिका में संशोधन करके दिनांक 21.02.2024 के उपरोक्त आदेश को चुनौती देना चाहते हैं।

3. तदनुसार, याचिकाकर्ता को आवश्यक कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए मामले को तीन सप्ताह के लिए स्थगित किया जाता है।

4. इस मामले को 24.02.2026 को उपयुक्त पीठ के समक्ष नई सूची में रखा जाए।"

6. 24.02.2026 को, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित करने के लिए कार्यवाही की:-

"सिविल विविध संशोधन आवेदन संख्या शून्य सन् 2025 पर आदेश:-

1. चूंकि विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए संशोधन आवेदन को स्वीकार किया जाता है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तीन दिनों के भीतर रिट याचिका में आवश्यक संशोधन किया जाए।

3. चूंकि संशोधन आवेदन सीधे न्यायालय में दायर किया गया है, इसलिए कार्यालय को यदि आवश्यक हो तो एक नियमित संख्या आवंटित करने का निर्देश दिया जाता है।

रिट याचिका पर आदेश

3. इस मामले को 10.03.2026 को नई सूची में रखें।"

7. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.बी. सिंह ने प्रतिवाद में एक बयान दिया है कि यद्यपि दिनांक 24.02.2026 के आदेश के आधार पर, एक संशोधन आवेदन संख्या शून्य सन् 2025 स्वीकार करते हुए सचिव/परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

द्वारा पारित दिनांक 21.02.2024 के आदेश पर सवाल उठाने की अनुमति दी गई, लेकिन वह सचिव/परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 21.02.2024 के आदेश के संबंध में रिट याचिका को खारिज करने की मांग करते हैं, जिसमें एक नई रिट याचिका को प्राथमिकता देकर इसे चुनौती देने की स्वतंत्रता हो।

8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता के साथ-साथ श्री सिद्धार्थ सिंघल को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार, जहां तक रिट याचिका सचिव/परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 21.02.2024 के आदेश पर सवाल उठाने की मांग करती है, उसे एक नई रिट याचिका दायर करके चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है। यद्यपि, दिनांक 21.02.2024 के आदेश के विरुद्ध उत्तरदाताओं के अधिवक्ता द्वारा उचित समय पर उठाई जाने वाली आपत्तियां खुली हैं।

9. रिट याचिका का मामला यह है कि चौथे उत्तरदाता, सचिव/परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी (एसके) और समाज कल्याण पर्यवेक्षक प्रतियोगित परीक्षा-2018 के पद के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। यद्यपि, 21.02.2024 को, चौथे उत्तरदाता, सचिव/परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अनुचित साधन अपनाने के कारण रिट याचिकाकर्ता को पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया। चूंकि रिट याचिकाकर्ता को प्रतिबंधित करने का आदेश परीक्षा अधिकारियों को प्रसारित किया गया था, इसलिए 11.09.2024 को रिट याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें रिट याचिकाकर्ता से यह स्पष्टीकरण माँगा गया कि रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। रिट याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने पर 03.10.2024 को अपना जवाब दिया और उसके बाद 18.09.2025 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें 18.09.2025 को रिट याचिकाकर्ता को पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।

10. उसी पर सवाल उठाते हुए, वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी गई है।

11. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने की मांग की है कि आक्षेपित आदेश को एक पल के लिए भी कायम नहीं रखा जा सकता है। उक्त दलील को विस्तार से बताते हुए, यह तर्क दिया गया है कि एक बार जब रिट याचिकाकर्ता को अपना जवाब देने की आवश्यकता होती है, तो कारण बताओ नोटिस के जवाब में रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए जाने वाले तर्कों पर विचार किया जाना चाहिए था। तर्क यह है कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों को दरकिनार कर दिया गया है और उनकी अनदेखी की गई है। तर्क यह है कि यह एक ऐसा मामला हो सकता है, जहां उत्तरदातागण इस तरह से उठाए गए तर्कों अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

से आश्वस्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस पर विचार किया जाना चाहिए, इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाए और मामले को एक नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेज दिया जाए।

12. श्री मनीष कुमार, विद्वान स्थायी अधिवक्ता के साथ-साथ सुश्री सृष्टि गुप्ता ने श्री सरन के संक्षिप्त विवरण के साथ प्रस्तुत किया है कि एक बार जब अधीनस्थ सेवा आयोग ने रिट याचिकाकर्ता को पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा लिए गए निर्णय से हटने का कोई अवसर नहीं है। यद्यपि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि कारण बताओ नोटिस के जवाब में रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार नहीं किया गया है।

13. मैंने प्रतिवाद में की गई प्रस्तुतियों को सुना है और अभिलेख को ध्यान से देखा है।

14. तथ्य मुद्दे में नहीं हैं। यह मुद्दे में नहीं है कि 21.02.2024 को, अधीनस्थ आयोग ने रिट याचिकाकर्ता को पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और उसी के आधार पर, लोक सेवा आयोग द्वारा 11.09.2024 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जो इस प्रकार है: -

"कारण बताओ नोटिस

(उ०प्र० लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया एवं कार्य संचालन) नियमावली-2011 के नियम 32(2) के अन्तर्गत)
उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के पत्रांक-196 / 06/ तीन (परी०-1)/2023/खण्ड-8/टी०सी०-1, दिनांक 21.02.2024 द्वारा विरेन्द्र प्रताप पटेल को दिनांक 26.06.2023 से 05 वर्ष के लिये निम्न कारणों से प्रतिवारित किया गया है:-

"सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी (स०क०) एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक (सामान्य चयन) परीक्षा, 2018 की पुनर्परीक्षा में अभ्यर्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति के प्रतिभाग करने के कारण।"

अतः 15 दिवसों के भीतर इस आशय का कारण प्रदर्शित करें कि क्यों न आपको उक्त कदाचरण के कारण उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की समस्त परीक्षाओं / चयनों से 05 वर्ष के लिये प्रतिवारित कर दिया जाय? आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01.10.2024 को अपराह्न 03:30 बजे उ०प्र० लोक सेवा आयोग, 10, कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज में साक्ष्यों सहित उपस्थित हों अथवा प्रत्यावेदन के माध्यम से अपना उत्तर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने / व्यक्तिगत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

सुनवाई हेतु उपस्थित न होने पर यह अवधारित किया जाएगा कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार अन्तिम आदेश पारित कर दिया जाएगा।"

15. रिट याचिकाकर्ता ने 03.10.2024 को अपना जवाब दिया, जिसे यहां उद्धृत किया गया है: -

"महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी बीरेन्द्र प्रताप पटेल पुत्र श्री बीरबल पटेल ग्रा० सरायभोगी पो० सरायभोगी सुजानगंज जौनपुर के निवासी है। मैंने ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी (सा० चयन) परीक्षा 2018 की पुनर्परीक्षा में सम्मिलित हुआ जो मेरी परीक्षा मिर्जापुर परीक्षा केन्द्र पर हुई थी और मैं स्वयं परीक्षा में बैठा था बायोमैट्रिक कराने के लिए आये और मैच न करने पर बोल कर गये कि फिर आ रहा हूँ। अन्य लड़को का करने लगे दूबारा प्रयास नहीं किए परीक्षा देकर बाहर निकल आये उसके बाद मेरे ऊपर कार्यवाही करके दो माह बाद सूचना दी गयी यदि मैं गलत था तो मुझे चेक करके क्यों नहीं पकड़ा गया इसका जिम्मेदार केन्द्र व्यवस्थापक एवं प्रशासन है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना करता हूँ। कि मैं निर्दोष हूँ। मेरे ऊपर गलत तरीके से कार्यवाही की गयी जबकि उच्च न्यायालय के द्वारा अग्रिम जमानत की आर्डर कापी प्राप्त हुआ है।"

16. Thereafter on 18.09.2025, the Commission proceeded to pass the order impugned, which reads as under:-

"कार्यालय-ज्ञाप

(उ०प्र० लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया एवं कार्य संचालन) नियमावली-2011 के नियम 32 (2) के अन्तर्गत) उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के पत्रांक-196/06/तीन (परी०-1) /2023/खण्ड-8/टी०सी०-१, दिनांक 21.02.2024 द्वारा VIRENDRA PRATAP PATEI को दिनांक 28.06.2023 से 05 वर्ष के लिये निम्न कारणों से प्रतिवारित किया गया है-

"सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी (स०क०) एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक (सामान्य चयन) परीक्षा, 2018 की पुनर्परीक्षा में अभ्यर्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति के प्रतिभाग करने के कारण।"

2-उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का उक्त पत्र उ०प्र० लोक सेवा आयोग को भी प्राप्त हुआ। उक्त के संदर्भ में आपको कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.09.2024 प्रेषित करते हुए यह निर्देशित किया गया था कि 15 दिवसों के भीतर / सुनवाई की तिथि के पूर्व इस आशय का कारण प्रदर्शित करें कि क्यों न आपको उक्त कदाचार के कारण उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की समस्त परीक्षाओं और वयनों से 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जाय। आपको यह भी निर्देशित किया गया था कि निर्दिष्ट अवधि के भीतर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

उत्तर प्राप्त न होने पर यह अवधारित किया जाएगा कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार आयोग द्वारा अन्तिम आदेश पारित कर दिया जाएगा। आपका पक्ष जानने के लिए आपको व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 01.10.2024 को आयोग कार्यालय में आहूत भी लिया गया था।

3- इस सन्दर्भ में आपके द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 03.10.2024 के माध्यम से अपना पक्ष मा० आयोग के समक्ष रखा गया। आपके प्रकरण पर मा० आयोग द्वारा सम्यक रूपेण विचार किया गया। विचारोपरान्त मा० आयोग के निर्णयानुसार आपको आयोग कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की तिथि 11.09.2024 से 05 वर्षों के लिए लोक सेवा आयोग, उ०प्र० की समस्त लिखित परीक्षाओं / साक्षात्कारों से प्रतिवारित कर दिया गया है।"

17. आक्षेपित आदेश पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि रिट याचिका द्वारा उठाए गए किसी भी तर्क पर विचार नहीं किया गया है। तथापि, एक पंक्ति में यह दोहराया गया है कि कारण बताओ नोटिस पर प्रस्तुत किया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है। न्यायालय की राय में, कारण बताओ नोटिस जारी करने और जवाब मांगने का उद्देश्य समाप्त हो जाता है, जब कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार नहीं किया जाता है। चूंकि उक्त कवायद में कमी है, इसलिए आक्षेपित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

18. तदनुसार, रिट याचिका पर निम्नलिखित शर्तों में निर्णय लिया जाता है: -

(क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विशेष सचिव द्वारा पारित दिनांक 18.09.2025 के आदेश को रद्द किया जाता है।

(ख) मामले को दो महीने की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित करने के लिए प्राधिकरण को वापस भेजा जाता है।

(ग) ऐसा कहने से, यह एक अभिव्यक्ति नहीं मानी जा सकती है कि रिट याचिकाकर्ता को स्वचालित रूप से लाभ दिया जाता है, क्योंकि यह उसमें पारित किए जाने वाले नए आदेशों पर निर्भर करेगा।

19. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

मार्च 10, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"